पत्र संख्या : 1/पी0—1004/2016—सा0 प्र0—4672 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना—15, दिनांक : **30** मार्च, 2016

विषय :— पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के परामर्शी के पद के सृजन की स्वीकृति ।

राज्य के पथ निर्माण विभाग की योजनाओं के सूत्रण, कार्यान्वयन, समीक्षा एवं अनुश्रवण और राज्य सरकार की पथ निर्माण की योजनाओं के संबंध में भारत सरकार एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से समन्वय का कार्य करने के उद्देश्य से पथ निर्माण विभाग, बिहार के परामर्शी के पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. **पथ निर्माण विभाग के परामर्शी के कर्त्तव्य एवं दायित्वः—**

(i) पथ निर्माण विभाग के परामर्शी के रुप में वे पथ निर्माण विभाग की योजनाओं के सूत्रण, कार्यान्वयन, समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य करेंगे।

(ii) वे भारत सरकार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ राज्य सरकार की पथ निर्माण की योजनाओं के संबंध में समन्वय का कार्य करेंगे। इसके लिए उन्हें दिल्ली में आवश्यक सुविधायें देय होंगी।

3. पथ निर्माण विभाग के परामर्शी का पद संविदा आधारित होगा और दिनांक 01.04. 2016 के प्रभाव से सृजित होगा । यह पद स्थायी स्थापना का भाग नहीं होगा ।

4. इस पद के लिए वेतन एवं भत्तों का भुगतान पथ निर्माण विभाग के शीर्ष से होगा। सभी प्रकार की देय सुविधायें और कार्यालयी सहायता पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रदान की जाऐंगी।

5. इस पद पर भा0प्र0से0 के मुख्य सचिव स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी और उन्हें अन्तिम वेतन से मूल पेंशन की राशि घटाने के बाद की अवशेष राशि एवं उस पर समय—समय पर स्वीकृत मँहगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त उन्हें वाहन, कार्यालय कर्मी, टेलीफोन, अवकाश, यात्रा, सरकारी आवास, चिकित्सा, एच0टी0सी0/एल0टी0सी0 आदि की सुविधायें प्रदान

की जायेंगी। इस संबंध में वित्त विभाग के औपचारिक परामर्श से प्रशासी विभाग (पथ निर्माण विभाग) द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।

6. पद सृजन के संदर्भित मामलें में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—*1/पी0—1004/2016*—सा0प्र0— **4672** /पटना—15 दिनांकः **30** मार्च,2016

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा— आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय,बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।